"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 424] नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 मई 2025 — वैशाख 24, शक 1947

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 मई 2025

सूचना

कमांक एफ 5–9/2023/आठ–परि.—छत्तीसगढ मोटरयान नियम, 1994 में अधिसूचना क्रमांक एफ 5–10/आठ–परि/2017 दिनांक 01 अगस्त 2017 द्वारा जोड़े गये नियम 76–घ में उल्लेखित शब्द एवं वाक्यों के स्थान पर और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम (1988 का सं. 59) की धारा 93 सहपठित धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात विचार नही किया जायेगा ।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ शासन, परिवहन विभाग, चतुर्थ तल, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटलनगर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ शासन द्वारा विचार किया जायेगा ।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में :–

नियम 76–घ में उल्लेखित शब्द एवं वाक्यों के स्थान पर निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात :–

"76–घ, सूचना प्रौघोगिकी आधारित मोटर वाहन एग्रीगेटर पॉलिसी– 2025"

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 93 सहपठित धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले एग्रीगेटर्स के लाइसेंसिंग एवं विनियमन तथा माल एवं वस्तुओं की डिलीवरी सेवा प्रदान करने वाले अन्य डिलीवरी एग्रीगेटर्स के विनियमन के लिए निम्नलिखित छत्तीसगढ़ मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना तैयार की जाती है। इसमें अंतिम उपभोक्ता तक डिलीवरी सेवा प्रदाता भी शामिल हैं।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1. इस योजना का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मोटर वाहन एग्रीगेटर पॉलिसी– 2025 है।
2. इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में है।
3. ये अधिकारिक रूप से राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएँ:–**

1. **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है "मोटरयान अधिनियम, 1988"।
2. **"एग्रीगेटर"** से तात्पर्य – अधिनियम की धारा 1–क में परिभाषित परिवहन के उद्देश्य से यात्री को ड्राइवर से जोड़ने के लिए डिजिटल माध्यम या व्यवसायिक स्थान से है।
3. **"ऐप"** से अभिप्रेत है एग्रीगेटर या एग्रीगेटर की ओर से किसी तीसरे पक्ष द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस है, जिसे कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
4. **"अपीलीय प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है परिवहन विभाग के भार–साधक सचिव (अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव) अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नामित अधिकारी से है।
5. **"संचालन का क्षेत्र"** से अभिप्रेत है अधिनियम के तहत दिए गया 'क्षेत्र'।
6. **"कंप्यूटर संसाधन"** वही अर्थ है, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित है।
7. **"संचार उपकरण"** वही अर्थ है, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित है।
8. **"सक्षम प्राधिकारी"** का तात्पर्य क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से नीचे के पद का अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के साथ अधिनियम की धारा 93 के तहत लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत कोई अन्य अधिकारी नहीं है।
9. **"अनुपालन अधिकारी"** का तात्पर्य इस नीति के तहत एग्रीगेटर द्वारा नियुक्त व्यक्ति से है।
10. **"ड्राइवर"** शब्द का वही अर्थ है, जैसा मोटर यान अधिनियम में परिभाषित है। इस योजना के अंतर्गत परिवहन या वितरण सेवाओं के प्रावधान के लिए एग्रीगेटर द्वारा ऑन–बोर्ड किए गए वाहनों के ड्राइवर शामिल होंगे।
11. **"इलेक्ट्रिक वाहन"** से अभिप्राय, बैटरी से चलने वाला वाहन होगा, जैसा कि "केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989" में परिभाषित है साथ ही नियम 115–घ के अंतर्गत वाहनो में इस्तेमाल करने हेतु शुद्ध इलेक्ट्रिक सिस्टम किट की रेट्रो फिटमेंट में परिभाषित है।
12. **"इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता"** वही अर्थ है, जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में परिभाषित है।
13. **"अंतिम उपयोगकर्ता"** से तात्पर्य एग्रीगेटर के ग्राहक से है, जो यात्री या माल परिवहन सेवाएं या अंतिम बिन्दु तक वितरण सेवाएं प्रदान कर रहा है।
14. **"किराया"** से अभिप्रेत है एग्रीगेटर ऐप के माध्यम से राइड बुक करने और ऐसी राइड पूरी करने के बाद एग्रीगेटर द्वारा राइडर को डेबिट किए गए कुल राशि है।
15. **"शुल्क"** से अभिप्रेत है, लायसेंस के संबंध में इस दिशा–निर्देश के खंड 21 के तहत निर्धारित शुल्क।
16. **"फॉर्म"**– इस पॉलिसी अंतर्गत संलग्न प्रपत्र से है।
17. **"बेड़ा"** मोटर वाहन के ऐसे समूह से अभिप्रेत है, जिसमें बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं, जिनका उपयोग एग्रीगेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।

18. **"प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम"** का अर्थ खंड 6.2 में वर्णित अनुसार।
19. **"जांच प्राधिकारी"** से तात्पर्य इस नीति के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त परिवहन विभाग के किसी अधिकारी से है।
20. **"लायसेंस"** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 93 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा एग्रीगेटर को जारी किया गया लाइसेंस है।
21. **"लायसेंसधारी"** से तात्पर्य ऐसे एग्रीगेटर से है जो अधिनियम की धारा 93 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस रखता है।
22. **"ऑन–बोर्डिंग"** से अभिप्राय एग्रीगेटर के साथ वाहन और चालक का एकीकरण और एग्रीगेटर के साथ ऐसे वाहन का संचालन से है।
23. **"ऑफ–बोर्डिंग"** का अर्थ एग्रीगेटर से एकीकृत वाहन को पृथक्करण करने से है।
24. **"प्लेटफार्म"** का अर्थ किसी वेबसाइट या उसके किसी भाग और मोबाइल एप्लीकेशन सहित किसी सॉफ्टवेयर के रूप में एक ऑनलाइन इंटरफेस है।
25. **"रेटिंग"** का अर्थ है यात्रा के सफल समापन पर राइडर द्वारा प्राप्त की गई यात्रा की गुणवत्ता का आकलन।
26. **"पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम"** का अर्थ है एग्रीगेटर के साथ एकीकृत चालकों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण सत्र, जो कि कम से कम दो दिनों की अवधि के लिए संचयी 10 घंटे, भौतिक रूप से या आभासी रूप से दिया जाता है। यह सत्र केवल प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उल्लेखित पाठयक्रम तक सीमित नहीं होगा।
27. **"उपचारात्क प्रशिक्षण कार्यक्रम"** का अर्थ उन चालकों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाने वाला प्रशिक्षण पाठयक्रम है, जिनकी रेंटिग एग्रीगेटर के साथ जुड़ाव की न्यूनतम अवधि के संदर्भ में समान रूप से रखे गए सभी चालकों में से 2 प्रतिशत से कम है। ऐसी अवधि एग्रीगेटर द्वारा निर्धारित की जाएगी।
28. **"राइडर"** का अर्थ उस व्यक्ति से है जो एग्रीगेटर के साथ एकीकृत चालक द्वारा प्रदान किए गए परिवहन का लाभ उठाने के लिए एग्रीगेटर ऐप के माध्यम से यात्रा या माल पार्सल वितरण बुक करता है।
29. **"नियम"** से अभिप्रेत है केन्द्रीय मोटरयान नियम,1989
30. **"सिक्योरिटी डिपॉजिट"** का अर्थ एग्रीगेटर के रूप में लायसेंस के लिए आवेदन करने वाले द्वारा जमा राशि से है, जो बैंक गारंटी के रूप में जमा की गई है, जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।
31. **"सेवा प्रदाता अनुबंध"** का अर्थ, एग्रीगेटर और ड्राइवर दोनों पक्षों के संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों पर बनी सहमति एवं निष्पादन।
32. **"राज्य"** का अर्थ छत्तीसगढ़ से है।
33. **"सर्ज प्राइसिंग"** का अर्थ है एक एग्रीगेटर के एल्गोरिथम का आउटपुट से है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आपूर्ति से अधिक मांग होने पर स्वचालित रूप से ट्रिप की कीमत बढ़ा देता है।

3. कार्य क्षेत्र और योग्यता:

1. यह पॉलिसी ऐसे एग्रीगेटर्स पर लागू होंगी जिनके पास एकीकृत बेड़े में कम से कम 10 मोटर वाहन होगें और एग्रीगेटर द्वारा एकीकृत किए गए वाहनों पर लागू होगी।
2. यह पॉलिसी उन एग्रीगेटर्स पर लागू होगी जो किसी भी प्रकार के मोटर वाहनों के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
3. यह पॉलिसी छत्तीसगढ़ में अपने वाहनों को चलाने वाले एग्रीगेटर्स की सेवाओं को विनियमित करने और ऐसी सेवाओं के प्रावधान को छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2022 के अनुरूप लाने के लिए शुरू की गई है।
4. इस पॉलिसी में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एग्रीगेटर्स पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों के रूप में, या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 या अन्य विधायी ढांचा वाली संस्थाओं के रूप में लागू होने वाले कानून भी लागू होंगे।

यह दिशा–निर्देश मोटर वाहनों के संचालन के क्षेत्र में सक्रिय एग्रीगेटर्स पर लागू होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत एग्रीगेटर द्वारा एकीकृत किए गए सभी मोटर वाहन शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ में संचालन के लिए 10 से अधिक वाहन वाले सभी एग्रीगेटर्स को लायसेंस लेने की आवश्यकता होगी।

4. लायसेंस देने या नवीनीकरण के लिए आवेदन और उससे जुड़े मामले:

1. कोई भी व्यक्ति उचित शुल्क और सुरक्षा जमा के भुगतान के प्रमाण के साथ इन दिशा–निर्देशों से जुड़े प्रपत्र–I में लायसेंस लेने के लिए आवेदन कर सकता है।
2. इस दिशा–निर्देश अंतर्गत प्रदान किया गया लायसेंस जारी होने की तारीख से दो (2) वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा तथा संलग्न प्रपत्र–II में एग्रीगेटर द्वारा नवीनीकरण के लिए किए गए आवेदन पर एक वर्ष के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे नवीनीकृत किया जाएगा। हालांकि, इसे खंड 18 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है। नवीनीकरण के प्रयोजनों के लिए, सक्षम प्राधिकारी ऐसे एग्रीगेटर द्वारा दिशा–निर्देशों के अनुपालन का रिकार्ड और एग्रीगेटर के खिलाफ निलंबन की जांच करेगा।
3. राज्य सरकार के परिवहन विभाग के पोर्टल पर इन दिशा–निर्देशों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लायसेंस की सूची पोर्टल पर अपलोड एवं अद्यतन की जायेगी।
4. यदि इन दिशा–निर्देशों के तहत निर्दिष्ट लायसेंस प्रदान करने की शर्तो में से किसी का आवेदक द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है, तो समक्ष प्राधिकारी सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा।
5. इस बात से संतुष्ट होनें पर कि आवेदक ने इन दिशा निर्देशों के तहत लायसेंस प्रदान करने/नवीनीकरण के लिए निर्दिष्ट सभी शर्तो का अनुपालन किया है, सक्षम प्राधिकारी आवेदक को इन दिशा–निर्देशों के साथ संलग्न फार्म III में लायसेंस जारी करेगा।
6. इस पॉलिसी के दिशा निर्देशों के तहत जारी किए गए लायसेंस को अंतरणकर्ता और अंतरिती द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन करने पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

7. जहां लायसेंस खो जाता है या नष्ट हो जाता है, वहां डुप्लीकेट लायसेंस जारी करने के लिए इन दिशा–निर्देशो में निर्धारित शुल्क के साथ संलग्न प्रपत्र–IV में आवेदन किया जाना चाहिए। डुप्लीकेट लायसेंस पर लाल स्याही से "डुप्लीकेट" अंकित किया जाएगा।
8. एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए लायसेंस जारी करने की मांग करने वाले किसी भी आवेदक को परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा अधिसूचित पोर्टल पर एक "अनुपालन अधिकारी" (जो संपर्क बिंदु होगा) को संचालन के उद्देश्य से नामित करना होगा।

5. एग्रीगेटर की पात्रता

1. आवेदक कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के तहत पंजीकृत एक कंपनी या सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति होगी, जो चालकों या मोटर वाहन मालिकों के एक संघ या ऐसे अन्य संघ या एक सीमित देयता भागीदारी है जो सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत बनाई गई है।
2. आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य में एक पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए।
3. आवेदक मध्यस्थ दिशा–निर्देशों/पॉलिसीयों सहित अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत निर्धारित सभी लागू प्रावधानों का पालन करेगा।
4. जब तक राज्य सरकार द्वारा जारी लायसेंस न हो, आवेदक द्वारा किसी ड्राइवर को एकीकृत नहीं करेगा ना ही स्वयं को एग्रीगेटर के रूप में प्रस्तुत करेगा।
5. आदेदक को अपने व्यवसाय की स्थापना का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. एग्रीगेटर के लिए लायसेंस प्रदान करने की शर्तेः

लायसेंस हासिल करने का इच्छुक आवेदक निम्नलिखित के निर्देशों का अनुपालन करेगाः

1. इन दिशा–निर्देशों के खंड 7, 8, 9,10 और 11 का अनुपालनः,
2. वाहन पर सवार होने के संबंध में संबंधित ड्राइवर की ड्राइविंग क्षमता का परीक्षण करने के लिए एक सेम्युलेटर के साथ ड्राइविंग परीक्षण सुविधा की व्यवस्था या इसे किसी अधिकृत तीसरे पक्ष को ऑउटसोर्स करना और शुरूआती प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए व्यवस्था करना।

स्पष्टीकरणः शुरूआती प्रशिक्षण से अभिप्रेत है, ऑन–बोर्डिंग होने से पहले एग्रीगेटर द्वारा पाँच (05) दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जो तीस (30) घंटे का होगा। उक्त कार्यक्रम या तो स्वतंत्र रूप से या एक पेशेवर संस्था के साथ संपर्क करके प्रदान करना होगा। इस पाठ्यक्रम में चालकों को जानकारी देना, शिक्षित करना और प्रशिक्षण देना शामिल होगा, लेकिन यह सीमित नहीं होगा।

(क) एग्रीगेटर ऐप का कुशलता पूर्वक उपयोग करने के लिएः,
(ख) मोटरयान अधिनियम, 1988 और उसके तहत नियमों के तहत प्रावधानों परः,
(ग) ऊपर वर्णित प्रशिक्षण कार्यक्रम कुल तीस (30) घंटो में से प्रथम छः (06) घंटो का प्रशिक्षण सड़क सुरक्षा पर होगा।
(घ) सुरक्षापूर्वक वाहन चालन परः,

(ङ) मोटर वाहन रख–रखाव पर:,
(च) स्वास्थ्य और स्वच्छता के रख–रखाव पर:,
(छ) वाहन चालन पर ईंधन दक्षता:,
(ज) संचालन के क्षेत्र में मार्गो से परिचित होने पर।
(झ) ड्राइवर और एग्रीगेटर के बीच अनुबंध के नियमों और शर्तो पर।
(ञ) लैंगिक संवेदनशीलता एवं महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा पर।

3. एग्रीगेटर के लिए यह आवश्यक होगा कि जिस ड्राइवर को एकीकृत किया गया है, इस दिशा–निर्देशों के अंतर्गत शुरूआती प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा।
4. एग्रीगेटर को लाइसेंस प्रदान करने के 06 महीने के भीतर अपना व्यवसाय संचालन शुरू करना होगा, जिसके अभाव में लायसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
5. सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में स्वास्थ्य मंत्रालय/विश्व स्वास्थ्य संगठन/ या किसी संबंधित प्राधिकरण/संगठन द्वारा विशेष रूप से कोविड–19 या ऐसी अन्य महामारी के संबंध में मोटर वाहनों की स्वच्छता और उचित सामाजिक सुरक्षा जैसे एहतियाती कदमों के लिए जारी दिशा–निर्देश डिस्टेंसिंग आदि का पालन करना होगा। टैक्सियों में राइड–पूलिंग के मामलों में भी इस खंड का पालन किया जाना है।

7. राज्य सरकार इलेक्ट्रिक/वैकल्पिक ईंधन (जैसे बायो–एथेनॉल) दोपहिया टैक्सियों के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगी:

यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. नं. 5333 (ई) दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 इलेक्ट्रिक वाहनों और इथेनॉल या मेथनॉल पर चलने वाले वाहनों को परमिट की आवश्यकताओं से अनिवार्य ईव्ही फ्लीट तालिका 7.1 से छूट दी है, ऐसे वाहनों के संचालन की सुविधा के लिए निम्नलिखित इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े की संरचना सुनिश्चित किया जाएगा:–

1. बेड़े की संरचना और रूपांतरण

क. योजना की अधिसूचना के पश्चात, एग्रीगेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी नए बेड़े में शामिल किए जाने वाले वाहनों का प्रतिशत (%) निम्नलिखित हो –

समयसीमा	नए बेड़े में ईवी को अपनाने का लक्ष्य
योजना अधिसूचना की तारीख से पहले 6 महीनों के भीतर	10 प्रतिशत
योजना की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर	20 प्रतिशत
योजना की अधिसूचना की तिथि से दो वर्षों के भीतर	30 प्रतिशत
योजना की अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों के भीतर	40 प्रतिशत
योजना के अधिसूचना की तारीख से चार वर्षों के भीतर	50 प्रतिशत

8. चालकों के संबंध में अनुपालनः

1. एग्रीगेटर ऐसे ड्राइवरों के ऑन–बोर्डिंग से पहले ड्राइवरों से संबंधित निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करेगाः

(क) चालक के पास वैध प्रमाण पत्र के रूप में चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर आई.डी./आधार कार्ड/ पैन कार्ड अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज होना चाहिए।

(ख) चालक के पास संबंधित वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लायसेंस (जैसा लागू हो) और एक बैज जो ड्राइविंग लायसेंस में इन्डोर्स किया गया हो (जैसा लागू हो) होना चाहिए।

(ग) चालक के पास कम से कम 2 वर्ष का लायासेंस में दर्ज श्रेणी की वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। ड्राइविंग अनुभव 2 वर्ष से कम होने की स्थिति में, ड्राइवर को ऑन बोर्डिंग से पहले 15 दिनों की अवधि के लिए एग्रीगेटर द्वारा प्रदान किया गया ड्राइवर प्रशिक्षण लेना होगा। यह प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त होगा।

(घ) ड्राइवर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत केवाईसी अनुपालन बैंक खाता धारक या जन–धन खाता धारक होना चाहिए।

(ङ) नशीली दवाओं या शराब के प्रभाव में ड्राइविंग के अपराध के लिए वाहन के चालक को पिछले 3 वर्षो के भीतर दोषी नहीं ठहराया गया हो, या भारतीय न्याय संहिता, 2023 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (जैसा लागू हो सकता है) जिसमें धोखाधड़ी, यौन अपराध, संज्ञेय अपराध करने के लिए मोटर वाहन का उपयोग, संपत्ति की क्षति या चोरी, हिंसा के कार्य या आंतक के कार्य शामिल हैं।

(च) एग्रीगेटर द्वारा निर्धारित अस्पताल या चिकित्सा संस्थान द्वारा चालक को आंखों की जांच सहित संपूर्ण चिकित्सा जांच से गुजरना होगा। इस तरह के मेडिकल चेक–अप की लागत एग्रीगेटर द्वारा वहन की जाएगी।

(छ) बोर्डिंग के पंद्रह दिनों से पहले ऐसे सत्यापन के लिखित रिकॉर्ड के साथ ड्राइवर और उसके पूर्ववत की पहचान का पूर्ण पुलिस सत्यापन। इस सुविधा के लिए, पुलिस अधिकारियों को एग्रीगेटर द्वारा एग्रीगेटर के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) तक पहुंच प्रदान की जाएगी। इस तरह के सत्यापन के बाद, पुलिस अधिकारी चालक को बिना किसी अपराधिक रिकॉर्ड के अच्छे नैतिक चरित्र का प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे।

(ज) संबंधित चालक के साथ हिन्दीएवं अंग्रेजी अथवा चालक द्वारा समझी जाने वाली भाषा में सेवा प्रदाता द्वारा निष्पादित वैध अनुबंध जिसमें, वाहन में चढ़ने और वाहन के संचालन के लिए लागू आवश्यक नियमों और शर्तों का उल्लेख हो, होगा।

2. एग्रीगेटर संचालन के दौरान ड्राइवरों से संबंधित निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करेगाः

(क) एग्रीगेटर के साथ एकीकृत प्रत्येक चालक के लिए स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करना, जिसकी राशि रूपये 5 लाख रूपये से कम न हो और मूल वर्ष 2024–25 के साथ 5 लाख और प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि।

(ख) एग्रीगेटर के साथ एकीकृत प्रत्येक चालक के लिए कम से कम 10 लाख रूपये की राशि का सावधि बीमा सुनिश्चित करना। आधारवर्ष 2024–25 के साथ 10 लाख और प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि।

(ग) वर्ष में एक बार "पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम" आयोजित करना होगा। ऐसे प्रशिक्षण सत्रों के रिकार्ड को कम से कम एक वर्ष के लिए प्रलेखित और संरक्षित किया जाएगा। एग्रीगेटर को इस तरह का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एग्रीगेटर द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी विशेष संस्था के साथ सहयोग और भागीदारी करने की अनुमति दी जा सकती है।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि ड्राइवर एक कैलेंडर दिवस पर कुल बारह (12) घंटे तक लॉग इन न रहे। बारह (12) घंटे तक लॉग इन करने के बाद ड्राइवर के लिए दस (10) घंटे का अनिवार्य ब्रेक लगाया जाएगा।

(ङ) एग्रीगेटर अपने संबंधित ऐप पर एक प्रणाली विकसित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक से अधिक एग्रीगेटर के साथ लगे ड्राइवर 12 घंटे की संचयी अवधि से अधिक या तो अपने या किसी अन्य एग्रीगेटर ऐप पर वाहन चालन न करे ताकि ड्राइवर एवं यात्री की भी सुरक्षा हो सके।

(च) सारथी के पोर्टल पर वाहनों चालकों से संबंधित निम्नलिखित अभिलेखों की अद्यतन प्रतियों (मूल अभिलेखों के साथ उचित सत्यापन के अनुसार) को नियमित रूप से बनाए रखना और जांचनाः,

(छ) चालक की एक तस्वीर

(ज) ड्राइविंग लायसेंस

(झ) वर्तमान आवासीय पता का प्रमाण पत्र,

(ञ) आरबीआई के अनुरूप केवाईसी बैंक खाता विवरणः,

(ट) ईआईसी कार्ड या आधार कार्ड या पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रतियां।

(ठ) ड्राइवर के परिवार के दो सदस्यों के संपर्क विवरण और पते।

(ड) ड्राइवरों को कई एग्रीगेटर्स के साथ काम करने में सक्षम बनाना, बशर्ते उनमें से प्रत्येक एग्रीगेटर से संबंधित आवश्यकताओं और ड्राइवर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुपालन करे।

(ढ) यह सुनिश्चित करना कि चालक के साथ सेवा प्रदाता अनुबंध समाप्त किये जाने पर या समाप्त होने पर, एग्रीगेटर से संबंधित सभी उपकरण या ब्रांड स्टिकर हटा दिया गया हो और एग्रीगेटर द्वारा ड्राइवर को जारी किए गए पहचान पत्र या प्राधिकरण को जब्त कर लिया गया हो।

(ण) ऐप पर ऐसी प्रणाली विकसित करना जिसका उपयोग यात्रा के दौरान सवारी के अनुभव और चालक के आचरण के संबंध में संबंधित सवारी द्वारा किया जा सके। ऐसी प्रणाली ड्राइवर के लिए, सवारी के रेटिंग पर भी लागू होगा।

(त) दो पर्सेंटाइल से कम रेटिंग वाले चालकों को अनिवार्य रूप से उपचारात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम करने की आवश्यकता होगी, जिसके पूरा होने तक ऐसे चालक को ऑफबोर्ड किया जाएगा।

(थ) एग्रीगेटर इस योजना की अधिसूचना की तिथि से 3 माह के भीतर परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार पोर्टल पर वाहन में सवार सभी चालक–भागीदारों एवं उनके वर्तमान में उपयोग में आने वाले वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे।

9. वाहनों के संबंध में अनुपालनः

एकीकरण के लिए एग्रीगेटर द्वारा वाहनों से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगाः

1. वाहन का वैध पंजीकरणः,
2. वैध परमिट, जो लागू हो सकता हैः,
3. अधिनियम के तहत प्राप्त वैध फिटनेस प्रमाण पत्रः,
4. अंग्रेजी एवं अरेबिक अंको में प्रदर्शित पंजीकरण चिन्ह इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा जो नियमों में निर्दिष्ट है,
5. वैध कम से कम तृतीय–पक्ष का बीमा प्रमाण पत्र,
6. वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्रः,
7. मोटर कैब के लिए BS-IV या उससे ऊपर के उत्सर्जन मानदंडों, मैक्सी कैब, ओमनी बस (व्यवसायिक उपयोग) और अन्य वाहनों के लिए BS-III या उससे ऊपर के उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालनः,
8. नगर में विर्निदिष्ट विशिष्ट ईंधन मानदंडों का अनुपालनः,
9. लागू करों और अन्य देय राशि का अद्यतन भुगतानः,
10. वाहनों के एकीकरण के पूर्व लंबित ई–चालान का भुगतान किया जावेगा।
11. सार्वजनिक सेवा वाहन के लिए प्रासंगिक पैनिक बटन के साथ एआईएस 140 प्रमाणित वाहन ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली का फिटमेंट, जैसा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, जो एग्रीगेटर के नियंत्रण कक्ष से जुड़ा होगाः,
12. अग्निशमन यंत्र लगानाः,
13. चाइल्ड लॉक तंत्र को अक्षम करना।
14. सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के लिए सक्षम मैनुअल ओवर राइडः,
15. मोटर साइकिल को छोड़कर जिसमें वाहन परमिट (जैसा लागू हो) और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति (वाहन के अंदर) प्रदर्शित करें। डिस्प्ले ड्राइवर के बगल में यात्री सीट की तरफ इस तरह से रखा जाना चाहिए कि संबंधित वाहन में यात्रियों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
16. मोटर वाहन उद्योग मानकों (एआईएस) या ऐसे किसी भी निर्दिष्ट मानक के अनुपालन में एलएमवी पर आगे और पीछे से दिखाई देने वाले 'टैक्सी' रूफसाइन का फिटमेंट।
17. एग्रीगेटर संचालन के दौरान, एकीकृत सभी वाहनों के डिजिटल रिकॉर्ड की जांच करेगा और अपडेट करेगा, जिसे एग्रीगेटर द्वारा https://vahan.nic.in/nrservices/. पर रियल टाइम आधार पर अपडेट किया जाएगा, चालक के वाहन से संबंधित निम्नलिखित अभिलेखों की प्रतियां अद्यतन रखेगा। (मूल के साथ उचित सत्यापन के अनुसार, नियमित रूप सेः)

(क) पंजीकरण प्रमाण पत्रः,
(ख) फिटनेस का प्रमाण पत्रः,

(ग) वाहन का परमिटः,
(घ) चेसिस और इंजन नंबरः, और
(ङ) अधिनियमों में निर्धारित अनुसार तृतीय पक्ष जोखिमों को कवर करने वाली वाणिज्यिक बीमा पॉलिसी।
(च) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र।
(छ) ऐसे ई–चालान जारी करने के 2 महीने की अवधि के भीतर लंबित ई–चालान का भुगतान किया जावेगा।
(ज) उपयोग के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, परिवहन आयुक्त/अपर परिवहन आयुक्त की पूर्व अनुमति से एग्रीगेटर द्वारा गैर–परिवहन वाहन पूलिंग की सुविधा प्रदान की जाना।

10. एग्रीगेटर के ऐप और वेबसाइट के संबंध में अनुपालनः

1. ऐप को ऐसे तरीके से तैयार किया जाएगा जो लागू कानून के अनुरूप हो।
2. ऐप अंग्रेजी और हिंदी प्राथमिक भाषाओं के रूप में उपलब्ध होगा।
3. यह सुनिश्चित करना कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में गठित भारतीय कंम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के लिए इन ऐप की अतिसंवेदनशीलता का प्रकटन हो सके, ऐप की सुरक्षा को मान्यता प्राप्त साइबर सुरक्षा फर्म द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
4. परिवहन विभाग को किराए की गणना के लिए स्त्रोत कोड और एल्गोरिदम जारी किया जाना होगा।
5. यह सुनिश्चित करना कि ऐप पर जनरेट किया गया डेटा भारत में एक सर्वर पर संग्रहीत हो और ऐसा संग्रहीत डेटा उत्पन्न होने की तारीख से कम से कम 3 महीने और अधिकतम 24 महीने के लिए होगा। यह डेटा कानून की उचित प्रकिया के अनुसार राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राहकों से संबंधित किसी भी डेटा को ग्राहक की लिखित सहमति के बिना प्रकट नहीं किया जाएगा।
6. यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक वाहन द्वारा संचालित दैनिक यात्राओं का विवरण, प्रत्येक वाहन में आने वाले यात्रियों का विवरण, प्रत्येक यात्रा के मूल और गंतव्य और एकत्र किए गए किराए का विवरण जो चालक द्वारा यात्री से लिया जाएगा जो कि ऐसी यात्रा की तारीख से तीन 3 महीने की अवधि के लिए ऐप पर उपलब्ध रहेगा।
7. इसके संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, जिसमें ऐप एल्गोरिदम की कार्यप्रणाली, चालक को देय किराए का अनुपात, चालकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि, चालक से प्राप्त शुल्क और ऐसी अन्य जानकारी जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/परिवहन विभाग द्वारा निर्देशित अनुसार उसे एग्रीगेटर की वेबसाइट और ऐप में अपडेट किया जाएगा।
8. ऐप के माध्यम से बुक किए गए राइड के शुरू होने के बाद राइडर को लाइव लोकेशन और अपनी राइड की स्थिति साझा करने में सक्षम बनाने वाली सुविधा को शामिल करना होगा।
9. यह सुनिश्चित करना कि एग्रीगेटर के साथ एकीकृत प्रत्येक ड्राइवर की तस्वीर ऐप पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

10. वेबसाइट में प्रदर्शित की जाने वाली जानकारी जिसमें स्वामित्व, पंजीकृत पता, किराया संरचना, दी जाने वाली सेवाएं, उपभोक्ता सेवाएं टेलीफोन नंबर और ई–मेल एड्रेस और ऐसे अन्य विवरण जो आवश्यक हो।
11. किसी भी चालक पर दवाओं या शराब के उपयोग पर शून्य–सहिष्णुता नीति लागू होगा। अपनी वेबसाइट पर शून्य–सहिष्णुता नीति के साथ–साथ चालक के बारे में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया की सूचना प्रदान करना होगा, जब किसी यात्री को संदेह होता है कि चालक वाहन संचालन करते समय नशीली दवाओं या शराब के प्रभाव में है। शून्य–सहिष्णुता नीति के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यात्री की शिकायत प्राप्त होने पर एग्रीगेटर द्वारा तुरंत ऐसे ड्राइवर को बोर्ड से बाहर कर देगा। तत्काल निलंबन किया जाना होगा या एग्रीगेटर द्वारा जांच की अवधि के दौरान निलंबन जारी रहेगा।
12. एग्रीगेटर के दिशा–निर्देश पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जावेगी, जो कि 24×7 कियाशील रहेगा एवं यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन नियंत्रण कक्ष के साथ सभी वाहन निर्बाध रूप से संपर्क में रहे। एग्रीगेटर के निर्देश पर कंट्रोल रूम से सभी वाहनों की गतिविधियों पर नजर रखा जा सकेगा।
13. ऐसे कॉल सेंटर की स्थापना की जावेगी, जिसमें वैध टेलीफोन नम्बर एवं सक्रिय ई–मेल एड्रेस हो एवं जिसका प्रदर्शन 24×7 एप पर स्पष्ट रूप से किया जावेगा जो चालक एवं यात्री की सहायता के लिए अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में उपलब्ध होगा। ऐसा नियंत्रण कक्ष निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी होगाः

    (क) ऐप में कॉल की सुविधा उपलब्ध कराना जिसके माध्यम से किसी यात्रा के संबंध में समस्या आने पर यात्री या चालक यात्रा के दौरान या यात्रा के पूर्ण होने के 3 महीने तक एग्रीगेटर के नियंत्रण कक्ष के साथ संपर्क स्थापित कर सकेगा, जैसा कि उपखंड 5 में निर्देशित किया गया हैं। एग्रीगेटर असाइन किए गए ड्राइवरों का सीधे संपर्क नंबर भी प्रदान करेगा, जो यात्री के लिए उपलब्ध होगा और यात्रा पूर्ण होने के बाद से 24 घंटे की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा।

    (ख) सवारी/चालक/वाहन की स्थिति के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर सवारियों की शिकायतों का समय पर और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना। ड्राइवर एवं यात्रा से संबंधित सवारी की शिकायत 24 घंटे के बाद सूचित नहीं किया जा सकता है।

    बशर्ते कि शिकायत निवारण केंद्र में दर्ज की शिकायत अपराधिक प्रकृति की हो, तो ऐसी शिकायत दर्ज करने की सीमा अवधि 24 घंटे की निर्दिष्ट सीमा से अधिकतम 72 घंटे तक बढ़ाई जाएगी। ऐसे परिदृश्य में, संबंधित ड्राइवर को एग्रीगेटर से तब तक ऑफ–बोर्ड किया जाएगा जब तक कि इस तरह के मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता।

बशर्ते अधिनियम के तहत प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में चालक के खिलाफ शिकायतों के मामले में, चालक को शिकायत किए जाने के दिन से 2 दिनों की अवधि के लिए ऑफ–बोर्ड किया जाएगा।

14. किसी राइडर की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली किसी भी अप्रिय दुर्घटना या घटना के संबंध में जांच अधिकारियों के साथ अत्याधिक सहयोग करना, जो एक निर्दिष्ट ट्रिप पर ड्राइवर की कार्यवाही या निष्क्रियता के कारण उत्पन्न हुआ हो।
15. यदि सिटी टैक्सी एग्रीगेटर के साथ एकीकरण चाहते है तो उन्हें ऐसे एकीकरण की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते ये टैक्सियां खंड 8 के तहत निर्दिष्ट शर्तो का पालन करते हो।

(क) ऑपरेटिंग सेंटर/सीसीसी, राइडरों/उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज की गई समस्याओं/शिकायतों के संबंध में एग्रीगेटर के पोर्टल एक्सेस के माध्यम से परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ को सभी डेटा एक्सेस करने और उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए और इसके समाधान के लिए की गई कार्यवाही में पर्याप्त होना चाहिए।

(ख) एग्रीगेटर द्वारा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग को शिकायत निवारण प्रकिया पर वेब–आधारित पहुंच प्रदान किया जाएगा।

(ग) ऐसे चालक भागीदारों पर जो कि एक महीने की अवधि में उसके द्वारा की गई यात्रा के लिए यदि 15% या उससे अधिक शिकायत मिलने पर उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार संदर्भित डेटा को प्रदान की गई सेवा की तारीख से कम से कम 3 महीने के लिए एग्रीगेटर द्वारा संग्रहीत/एकत्रित किया जाएगा।

11. **सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुपालनः**

1. वाहन में स्थापित एआईएस–140 मानक जीपीएस के उचित कामकाज को सुनिश्चित करना और इसके कामकाज में उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे के लिए कुशल समाधान प्रदान करना:,
2. यह सुनिश्चित करना कि चालक ऐप पर निर्दिष्ट मार्ग पर वाहन चलाता है और इसके अनुपालन न होने पर, उसके संबंध में एक प्रणाली विकसित करना, जिसमें ऐप डिवाइस चालक को गलती का संकेत देता है और एग्रीगेटर का नियंत्रण कक्ष तुरंत चालक के साथ संचार कर सके।
3. कार्यस्थल पर महिलओं के यौन उत्पीड़न (रोकथम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसी युक्ति शुरू करके महिला कर्मचारियों और चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
4. ऐप पर एक ऐसी प्रणाली विकसित करना आवश्यक होगा, जो यह सुनिश्चित कर सके, जिससे यात्रा करने वाले चालक की पहचान वही है, जो एग्रीगेटर के साथ सूचीबद्ध है और हर बार यात्रा स्वीकार करने पर सत्यापन की आवश्यकता होगी।
5. ऐसे एग्रीगेटर द्वारा या अधिकृत कर्मियों के द्वारा एग्रीगेटर के साथ एकीकृत वाहनों की नियमित स्पॉट जांच सुनिश्चित करना।

12. राइड पूलिंगः

1. एप के माध्यम से अलग–अलग स्टापेज के साथ एक ही मार्ग पर यात्रा कर रहे राइडर्स को एग्रीगेटर, पूलिंग की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जिनका विवरण एवं केवाईसी उपलब्ध रहेंगे।
2. राइड पूलिंग का लाभ उठाने की इच्छुक महिला यात्रियों को भी केवल अन्य महिला यात्रियों के साथ पूल करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।
3. पूलिंग सुविधा ऐसे वाहन में पहले राइडर द्वारा निर्दिष्ट गंतव्य के लिए निर्धारित मार्ग से कुछ किलोमीटर के परिधि के भीतर उपलब्ध होगी।
4. राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से शहरी समूहों और नगर निगम की सीमा से बाहर के क्षेत्रों में पहुंच प्रदान करने के लिए उपरोक्त परिधि विनिर्देशों को शिथिल कर सकती हैं।

13. एग्रीगेटर द्वारा पालन की जाने वाली गैर–भेदभाव नीतिः

ऐसे वाहन जो एग्रीगेटर के स्वामित्व में नहीं है, पर एग्रीगेटर के साथ एकीकृत हो जाते है, उसके पश्चात एग्रीगेटर यह सुनिश्चित करेगा कि वास्तव में एग्रीगेटर के स्वामित्व वाले वाहनों के समकक्ष ही उन वाहनों को माना जावे।

14. किरायों का विनियमनः

1. एग्रीगेटर सेवा के लिए चालू–वर्ष हेतु डब्ल्यू.पी.आई. (थोक मूल्य सूचकांक) द्वारा निर्धारित टैक्सी किराया ही ग्राहकों के लिए आधार किराया होगा।
2. एग्रीगेटर सेवाओं का लाभ उठाने वाले ग्राहकों से वसूल किया जाने वाला आधार न्यूनतम किराया कम से कम 3 किलोमीटर के लिए देय होगा, ताकि डेड माइलेज और तय की गई दूरी और ग्राहकों को लेने के लिए उपयोग किए गए ईंधन की भरपाई की जा सके।
3. एग्रीगेटर को बेस फेयर से कम किराया एसओए और ऊपर दिए गए खंड 14.1 के तहत निर्दिष्ट बेस फेयर का 1.5 गुना अधिकतम सर्ज प्राइसिंग चार्ज करने की अनुमति होगी। यह परिसंपत्ति के उपयोग को सक्षम और बढ़ावा देगा जो परिवहन साधनों के एकत्रीकरण की मौलिक अवधारणा रही है और गतिशील मूल्य निर्धारण सिद्धांत को भी पुष्ट करता है, जो मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों के अनुसार संपत्ति के उपयोग को सुनिश्चित करने में प्रासंगिक है।
4. एग्रीगेटर के साथ एकीकृत वाहन के चालक को प्रत्येक राइड पर लागू किराए का कम से कम 70 प्रतिशत प्राप्त होगा और प्रत्येक राइड के लिए शेष शुल्क एग्रीगेटर द्वारा प्राप्त किया जाएगा। एग्रीगेटर द्वारा संचालित वाहनों के सुविधाओं और उनसे संबंधित कार्यक्रम जिसके तहत राज्य प्रायोजित कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशालाएं और गतिविधियों, प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम, एग्रीगेटर के साथ एकीकृत वाहनों के लिए बड़ा पार्किंग क्षेत्र का पार्किंग के लिए निश्चित अनुपात में आबंटन, इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक वाहनों और संबंधित मामलों के लिए शामिल हैं, इस हेतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के राजकोष के लिए आवश्यक निर्देश दे सकती है, जो कि यातायात की भीड़ और प्रदूषण की रोकथाम के लिए सहायक होगा।

5. मोटर कैब के लिए 25 रूपये का आधार किराया होगा, इस खंड 14.2 के अंतर्गत किराया विनियमन केवल 1500 सीसी डीलज या पेट्रोल की इंजन क्षमता से कम, 4 मीटर तक लंबाई वाली मोटर कैब के लिए लागू होगा।
6. मैक्सी कैब और ओमनी बस (व्यवसायिक उपयोग) के लिए 40 रूपये की राशि आधार किराया होगा, इस खंड 14.2 के अंतर्गत किराया विनियमन केवल 1500 सीसी डीलज या पेट्रोल की इंजन क्षमता से कम, 4 मीटर तक लंबाई वाली मैक्सी कैब या ओमनी बस के लिए लागू होगा।
7. किसी भी यात्री से डेड माइलेज के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा (सिवाए इसके कि सवारी प्राप्त करने की दूरी उपरोक्त खंड 14.2 के तहत उल्लिखित 3 किलोमीटर से कम है) और किराया केवल चढने के बिन्दु से उतरने के बिन्दु तक लिया जाएगा।

15. सवारी रद्द करना :

1. ऐप पर राइड स्वीकार करने के बाद ड्राइवर द्वारा बुकिंग रद्द करने पर, कुल किराए का 10% जुर्माना, जो 100 रूपये से अधिक नहीं होगा। जब इस तरह के रद्दकरण को ऐसे वैध कारण के बिना किया जाता है जो एग्रीगेटर द्वारा अपनी वेबसाइट और ऐप पर निर्धारित किया गया है।
2. ऐप पर राइडर द्वारा राइड बुक करने के बाद बुकिंग रद्द करने पर कुल किराए का 10% जुर्माना लगाया जाएगा, जो 100 रूपये से अधिक नहीं होगा। जब इस तरह के रद्दकरण को ऐसे वैध कारण के बिना किया जाता है जो एग्रीगेटर द्वारा अपनी वेबसाइट और ऐप पर निर्धारित किया गया है। उक्त राशि को चालक और एग्रीगटर के बीच उसी अनुपात में विभाजित किया जाएगा जैसा कि इसमें ऊपर खंड 14.4 में निर्धारित किया गया है।
3. राइड बुक करने के बाद 10 मिनट से अधिक की देरी के मामले में या यदि ड्राइवर राइडर को लेने में असमर्थता व्यक्त करता है तो राइडर पर ट्रिप कैंसिलेशन पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी।

16. जुर्माना:

1. जो कोई वैध एग्रीगेटर लाइसेंस के बिना खुद को एक एग्रीगेटर के रूप में संलग्न करता है, वह पहले अपराध के लिए पचास हजार रूपये के जुर्माने के साथ दंडनीय होगा, जो दूसरे या बाद के अपराध के लिए एक लाख रूपये तक हो सकता है।
2. वैध एग्रीगेटर लाइसेंस न रखने वाली इकाई के साथ जो भी मोटर वाहन मालिक या ड्राइवर या एजेंट या प्रचारकर्ता संलग्न है, पहले अपराध के लिए एक हजार रूपये प्रति वाहन के जुर्माने के साथ दंडनीय होगा जो दूसरे या बाद के अपराध के लिए प्रति वाहन दो हजार रूपये तक हो सकता है।
3. छत्तीसगढ़ मोटर वाहन एग्रीगेटर पॉलिसी की धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई भी वैध एग्रीगेटर लाइसेंसधारक प्रथम अपराध के लिए पचास हजार रूपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा जो दूसरे या बाद के अपराध के लिए एक लाख रूपये तक हो सकता है।

17. एग्रीगेटर लाइसेंस का निलंबनः

1. स्व प्रेरणा से या सक्षम प्राधिकारी को की गई शिकायत पर या स्वतः संज्ञान लेकर शिकायत की तारीख से पंद्रह (15) दिनों के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए लिखित में तर्कपूर्ण आदेश के साथ लाइसेंस निलंबित कर सकेंगे, जो 10 दिनों से कम और एक बार में 6 महीनें से अधिक नहीं होगा। ("निलंबन आदेश") यदि–

(क) एग्रीगेटर द्वारा राइडर और/या ड्राइवर की सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक प्रणाली गत विफल होने और उचित पैरामीटर के संबंध में तिमाही रेटिंग के विश्लेषण से इसके प्रमाणित होने पर।

(ख) सवारियों से वसूले जाने वाले किराए के संबंध में वित्तीय विसंगतियों के बार–बार मामले सामने आए हैं, अनुचित रूप से अधिक मूल्य निर्धारण, ड्राइवरों और एग्रीगेटर के बीच किराए के आनुपातिक विभाजन का गैर–अनुपालन, ड्राइवरों पर निराधार शुल्क लगाना, जिनमें से सभी को रेटिंग और/या एग्रीगेटर के संचालन से संबंधित वित्तीय रिकॉर्ड की जांच के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जो खंड 20(1) के तहत राज्य सरकार को दी गई शक्तियों के अनुपालन में है;

(ग) एग्रीगेटर ड्राइवरों के प्रति संविदात्मक दायित्वों का पालन करने में विफल रहता है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मामूली, मध्यम या गंभीर अपराधों के लिए दिशा–निर्देशों की किसी भी शर्तों का पालन करने में एग्रीगेटर विफल रहता है तो अपराधों को वर्गीकृत करते समय निम्नलिखित मापदंडो पर विचार किया जा सकता है।

(ङ) राइडर्स और/या ड्राइवर्स स्वास्थ्य और सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को इन दिशा–निर्देशों का पालन करके टाला जा सकता था।

(च) सवारियों और/या चालकों की मृत्यु या गंभीर चोटों की संख्या जो एग्रीगेटर द्वारा सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के कारण हुई हो।

(छ) सविंदात्मक दायित्वों के उल्लंघन के कारण चालक कल्याण और आजीविका पर प्रभाव पड़ना।

(ज) वित्तीय कमी की गंभीरता।

(झ) और ऐसे अन्य पैरामीटर जो राज्य सरकार उपयुक्त और उचित समझें।

बशर्ते कि जहां एग्रीगेटर को निलंबित किया जा सकता है और सक्षम प्राधिकारी की राय है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस को निलंबित करना आवश्यक या उचित नहीं होगा, एग्रीगेटर राज्य द्वारा तय की गई राशि का भुगतान कर सकता है। यह धारा 193(2) के तहत एग्रीगेटर के खिलाफ लगाए गए जुर्माना के अनुरूप नहीं है।

2. निलंबन आदेश में निर्दिष्ट अवधि के पूरा होने पर एग्रीगेटर लिखित रूप में एक वचन बद्धता के माध्यम से निलंबन आदेश में निर्दिष्ट निलंबन के कारणों को स्वीकार करेगा और यह वचन देगा कि उसका अनुपालन किया जाएगा। इसके बाद, सक्षम प्राधिकारी निलंबन आदेश की संतुष्टि और वचनबद्धता की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए एक आदेश पारित करेगा और एग्रीगेटर को

एक अवधि के लिए संचालन जारी रखने की अस्थायी (परीवीक्षा अवधि के लिए) अनुमति देगा जो 2 महीने से कम और 6 महीने से अधिक नहीं होगी।

3. परिवीक्षा अवधि के दौरान, एग्रीगेटर संचालन जारी रखेगा और पूर्व निलंबन के कारणों को सुधारते हुए, समस्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। परिवीक्षा अवधि के समाप्ति के बाद सक्षम प्राधिकारी इन दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एग्रीगेटर के संचालन की जांच करेगा और पिछले निलंबन के कारण होने वाले मुद्दों का सुधार करेगा।
4. यदि सक्षम प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि के अंत में परीक्षण के अनुसार संतुष्ट होता है, तो सक्षम प्राधिकारी एग्रीगेटर को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी करेगा और लाइसेंस वापस कर देगा, जिसके बाद एग्रीगेटर संचालन जारी रखेगा। असंतुष्ट होने पर अपेक्षित सुधारों को लागू करने के लिए सात (7) दिनों की दूसरी परिवीक्षा अवधि प्रदान की जाएगी।
5. सात (7) दिनों की समाप्ति उपरांत जांच के बाद संतुष्ट होने पर, एग्रीगेटर को एनओसी दी जाएगी और लाइसेंस वापस कर दिया जाएगा। यदि आवश्यक सुधार के बाद असंतुष्ट रहते है, तो सक्षम प्राधिकारी पंद्रह (15) दिनों के भीतर, एग्रीगेटर को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, एक लिखित आदेश ("निरंतर निलंबन आदेश") के माध्यम से निरंतर निलंबन के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए लाइसेंस को एक ऐसे अवधि के लिए निलंबित कर सकता है, जो पैंतालीस दिनों से कम और तीन महीने से अधिक नहीं होगा। निरंतर निलंबन आदेश प्राप्त होने पर, इस खंड 17.2, 17.3, 17.4 में निर्दिष्ट प्रकिया का पालन किया जाएगा।
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित निलंबन के आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक गारंटी के रूप में प्रदान की गई सुरक्षा को भी उल्लंघन की सीमा के आधार पर आंशिक रूप से जब्त किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यदि प्रतिभूति जब्त कर ली जाती है, तो उसे एग्रीगेटर द्वारा फिर से लाइसेंस प्राप्त करने पर ही लौटाया जाएगा, न कि किसी परिवीक्षा अवधि के दौरान।
7. जहां एक लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है, एग्रीगेटर इस तरह के निलंबन को रद्द किए जाने तक लाइसेंस के तहत सभी कार्यो को तुरंत बंद कर देगा।

18. एग्रीगेटर लाइसेंस रद्द करना:

1. एग्रीगेटर के लाइसेंस को रद्द करने के लिए एग्रीगेटर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, यदि एग्रीगेटर:

   (क) को एक वित्तीय वर्ष के भीतर तीन (3) से अधिक निलंबन प्राप्त हुए है,
   (ख) निरंतर निलंबन आदेश की दूसरी परीक्षा के अनुसार अपना लाइसेंस और एनओसी प्राप्त करने में विफल रहा है, या
   (ग) उपरोक्त खंड 17.1(घ) के तहत राज्य सरकार द्वारा वर्गीकृत किए गए सकल अपराध के लिए जिम्मेदार है।

2. सक्षम प्राधिकारी कारण बताओ नोटिस जारी करने के दो (2) दिनों के भीतर एग्रीगेटर को सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकता है और उसके बाद लाइसेंस रद्द कर सकता है।

3. जैसे ही लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है, एग्रीगेटर तुरंत लाइसेंस के तहत सभी कार्यो को बंद कर देगा,
4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित रद्दकरण के आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक गारंटी के रूप में प्रदान की गई सुरक्षा पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी।
5. एग्रीगेटर, किसी भी समय स्वेच्छा से लाइसेंस रद्द करने के लिए सरेंडर कर सकता है। लाइसेंस के ऐसे समर्पण पर, सुरक्षा के रूप में जमा बैंक गारंटी को, यदि कोई बकाया राशि हो तो भुगतान के बाद एग्रीगेटर को वापस कर दी जाएगी।

19. अपीलः

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश से असंतुष्ट एग्रीगेटर, आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, राज्य सरकार या ऐसे अन्य संस्था जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, के समक्ष अपील कर सकता है।
2. यह अपील एक ज्ञापन के रूप में दो प्रतियों में होगी जिसमें अपील के लिए आधार होंगे और इसके साथ अपेक्षित शुल्क और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न होगी।

20. राज्य सरकार की शक्तियां और उत्तरदायित्वः

1. राज्य सरकार को एग्रीगेटर से इस तरह की जानकारी और दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार होगा, जैसा कि एग्रीगेटर द्वारा पूर्व लिखित सूचना के अनुसार इन दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध किया गया है। इनमें उन ड्राइवरों के बारे में जांच करने की शक्ति भी शामिल होगी जो एक से अधिक बार ऑफबोर्ड हुए है।
2. राज्य सरकार के पास इन दिशा–निर्देशों के प्रपत्र 1 में निर्दिष्ट अनुसार, इन दिशा–निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एग्रीगेटर के परिसरों की खोज और जांच करने की शक्ति होगी,
3. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित वाहन और सारथी पोर्टल तक राज्य सरकार पहुंच प्रदान करेगी ताकि एग्रीगेटर को ऐप के साथ एकीकृत वाहनों और ड्राइवरों के विवरण को अपडेट करने में सक्षम बनाया जा सके।
4. राज्य सरकार उपरोक्त खंड 20.1 के तहत एग्रीगेटर से प्राप्त दस्तावेजों और सूचनाओं की पूरी गोपनीयता सुनिश्चित करेगी और ऐसी कोई भी अन्य जानकारी जिसे वह मांग सकती है।

21. एग्रीगेटर के लिए शुल्कः

क.सं.	विवरण	राशि रूपये में
1.	लाइसेंस का अनुदान	50,000
2.	लाइसेंस का नवीनीकरण	5,000
3.	डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना	5,000
4.	अनुज्ञप्तिधारी के पते में परिवर्तन को नोट करने हेतु	5,000

नोट– 100% इलेक्ट्रिक वाहनों के बेड़े वाले एग्रीगेटर को सभी शुल्कों पर 50% की छूट दी जाएगी।

22. एग्रीगेटर के लिए सुरक्षा जमाः

क.सं.	विवरण	राशि रूपये में
1.	100 मोटर वाहनों तक	1,00,000
2.	1,000 मोटर वाहन तक	2,50,000
3.	10,000 से अधिक मोटर वाहन	5,00,000

नोट– 100% इलेक्ट्रिक वाहनों के बेड़े वाले एग्रीगेटर को सुरक्षा जमा पर 50% की छूट दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आंशिका ऋषि पाण्डेय, उप–सचिव.

प्रपत्र ।

(खंड 4.1 देखें)

छत्तीसगढ़ मोटर वाहन एग्रीगेटर नीति, 2025 के तहत लाइसेंस एग्रीगेटर के अनुदान के लिए आवेदन

प्रति,

.....

.....

छत्तीसगढ़

मैं अधोहस्ताक्षरी, छत्तीसगढ़ मोटर वाहन एग्रीगेटर नीति, 2025 के तहत एग्रीगेटर के रूप में संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन करता हूं।

1	पूरा नाम	
2	मुख्य कार्यालय का पता	
3	शाखाओं की संख्या और पते, यदि कोई हो	
4	अ. यदि एक पंजीकृत कंपनी है, तो एक प्रति संलग्न करें एसोसिएशन के ज्ञापन की एक प्रति के साथ निगमन/पंजीकरण का प्रमाण पत्र। ब. यदि फर्म है तो फर्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।	
5.	प्रमुख प्रबंधकीय का नाम और संपर्क विवरण कार्मिक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	1. 2. 3.
6	टेलीफोन नंबर, वेबसाइट का पता और ईमेल आईडी	
7.	प्रस्तावित संख्या (वाहन का प्रकार) संचालित। (वाहन संख्या और प्रत्येक वाहन के परमिट विवरण वाली एक अलग सूची संलग्न करें)	
8	जीपीएस/जीपीआरएस सविधा का विवरण	
9	अन्य बुनियादी ढांचे का विवरण	
10	पिछले तीन वर्षों में दायर रिटर्न का विवरण। पिछले वित्तीय विवरणों की प्रतियां संलग्न करें। तीन साल	
11	भुगतान किए गए शुल्क का विवरण	रू. 50,000
12	सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में सुरक्षा निधि एवं बैंक गारंटी की राशि का विवरण	

मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी और इसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेज मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं। मैं समझता हूँ कि यदि किसी भी समय कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो मुझे दिया गया लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, साथ ही मेरे खिलाफ अन्य कानूनी कार्रवाई/कार्रवाई भी की जा सकती है। मैंने छत्तीसगढ़ एग्रीगेटर नीति के प्रावधानों को पढ़ लिया है, मैं इसे और यहाँ उल्लिखित संदर्भ विधियों और नियमों का पालन करने के लिए स्वीकार करता हूँ और सहमत हूँ।

स्थान :–
दिनांक :–

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(कंपनी की मुहर के साथ, जैसा लागू हो)

प्रपत्र II
(खंड 4.2 देखें)

छत्तीसगढ़ मोटर वाहन एग्रीगेटर नीति, 2025 के तहत एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन

प्रति,

.....

.....

छत्तीसगढ़

मैं अधोहस्ताक्षरी, छत्तीसगढ़ मोटर वाहन एग्रीगेटर नीति, 2025 के तहत एग्रीगेटर के रूप में संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन करता हूं।

1	पूरा नाम	
2	मुख्य कार्यालय का पता	
3	शाखाओं की संख्या और पते, यदि कोई हो	
4	अ. यदि एक पंजीकृत कंपनी है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की एक प्रति के साथ निगमन/पंजीकरण के प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करें। ब. यदि फर्म है तो फर्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।	
5.	प्रमुख प्रबंधकीय का नाम और संपर्क विवरण कार्मिक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	1. 2. 3.
6	टेलीफोन नंबर, वेबसाइट का पता और ईमेल आईडी	
7.	प्रस्तावित संख्या (वाहन का प्रकार) संचालित। (वाहन संख्या और प्रत्येक वाहन के परमिट विवरण वाली एक अलग सूची संलग्न करें)	
8	जीपीएस/जीपीआरएस सविधा का विवरण	
9	अन्य बुनियादी ढांचे का विवरण	
10	पिछले तीन वर्षों में दायर रिटर्न का विवरण। पिछले वित्तीय विवरणों की प्रतियां संलग्न करें। तीन साल	
11	लइसेंस का विवरण : अ. अधिकार पत्र संख्या ब. निलंबन की संख्या, यदि कोई हो, ओर उसका विवरण	
12	भुगतान किए गए शुल्क का विवरण	रू. 50,000
13	सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में बैंक गारंटी के माध्यम से सुरक्षा जमा का विवरण	

यहाँ दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है। मैं समझता हूँ कि यदि किसी भी समय कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो मुझे दिया गया लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, साथ ही मेरे खिलाफ अन्य कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। मैंने छत्तीसगढ़ मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी, 2025 के प्रावधानों को पढ़ लिया है।मैं इसे और यहाँ उल्लिखित संदर्भ प्रतिमाओं और नियमों का पालन करने के लिए स्वीकार करता हूँ और सहमत हूँ।

स्थान :–

दिनांक :–

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(कंपनी की मुहर के साथ, जैसा लागू हो)

प्रपत्र III

(खंड 4.5 देखें)
एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस

श्रीमान/श्रीमती/मैसर्स..... को छत्तीसगढ़ एग्रीगेटर दिशा–निर्देश के तहत निर्धारित निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत एक एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदाय किया जाता है।

1.	एग्रीगेटर का नाम (पूरा नाम)	
2.	मुख्य कार्यालय का पता	
3.	शाखाओं के पते	
4.	टेलीफोन नंबर, वेबसाइट का पता और ईमेल आईडी	
5.	ऑटो रिक्शा की संख्या/ई–रिक्शा/मोटरकैब/मोटर साइकिल या बस (फार्म I/II में एग्रीगेटर द्वारा संलग्न सूची के अनुसार, जो लागू हो सकता है।)	1. 2. 3.
6.	एग्रीगेटर के कार्य करने का विवरण	
7.	भुगतान की गई फीस का विवरण	
8.	बैंक गारंटी का विवरण लाइसेंस धारी छत्तीसगढ़ एग्रीगेटर गाइड लाइन, 2022 में निहित सभी शर्तो का पालन करेगा।	

लाइसेंसधारी को **छत्तीसगढ़ मोटरयान एग्रीगेटर नीति, 2025** में निहित सभी शर्तों का पालन करना होगा।

स्थान :–
दिनांक :–

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र IV
(खंड 4.7 देखें)
डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन

प्रति,

.....

.....

छत्तीसगढ़

महोदय/महोदया,

मोटर वाहन एग्रीगेटर पॉलिसी के खंड 3.5 के अंतर्गत लाइसेंस धारक का नाम, को जारी किया गया लाइसेंस, जिसका क्रमांक (----------) है, निम्नलिखित परिस्थितियों में खो गया/नष्ट हो गया/पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया गया/गंदा हो गया/फट गया/बहुरूप हो गया है। (----------)

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार लाइसेंस को अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत निलंबित या रद्द नहीं किया गया है और ऊपर बताई गई परिस्थितियाँ सत्य हैं।

मैं/हम डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन करते हैं।

बट्टे खाते में डाला गया/गंदा हुआ/फटा/विकृत पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न है/लाइसेंस के टॉस के विरुद्ध दर्ज की गई एफआईआर की प्रति संलग्न है।

स्थान :–

दिनांक :–

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(कंपनी की मुहर के साथ, जैसा लागू हो)

Nava Raipur Atal Nagar, the 14th May 2025

NOTICE

No. F 5-9/2023/8-Transport.— The following draft of amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 by inserting the words and sentences mentioned in rule 76-G by Notification No. F 5-10/8-Par/2017 dated 01 August 2017, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 93 read with section 96 of the Motor Vehicles Act (No. 59 of 1988), is hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby, as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Gazette. Any objection or suggestion received from any person in respect of the said draft before the specified period, in the office of Transport Commissioner, Chhattisgarh Government, Transport Department, 4th Floor, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur, Atal Nagar during office hours, will be considered by the Chhattisgarh Government.

Amendment Draft

In the said rules:-

In place of the words and sentences mentioned in Rule 76-D, the following shall be added, namely:-

"76-G, Information Technology based Motor Vehicle Aggregator Policy- 2025"

In exercise of the powers conferred by Section 93 read with Section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Transport Department, Chhattisgarh hereby prepares the following Chhattisgarh Motor Vehicle Aggregator Scheme for licensing and regulation of aggregators providing passenger transport services in the State of Chhattisgarh and for regulation of other delivery aggregators providing delivery service of goods and commodities, including last-mile delivery service providers in the state of Chhattisgarh.

1. Short title, extent, and commencement

1. This scheme may be called the Chhattisgarh Motor Vehicle Aggregator Policy.
2. They will extend to the state of Chhattisgarh.

3. They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. Definitions:

1. **"Act"**, means the Motor Vehicle Act ,1988

2. **"Aggregator"**, as define in section 1A of the act, refers to a digital intermediary or market place for a passenger to connect with a driver for the purpose of transportation.

3. **"App"** means an electronic interface operated by the Aggregator or any third party on behalf of the Aggregator, which may be accessed either through a computer resource or a communication device.

4. **"Appellate Authority"** means any officer not below the rank of additional transport commissioner or any officer as designated by the State Government.

5. **"Area of Operation"** shall have the meaning ascribed to 'area' under the Act.

6. **"Computer resource"** shall have the meaning ascribed to it under the Information Technology Act, 2000.

7. **"Communication device"** shall have the meaning ascribed to it under the Information Technology Act, 2000.

8. **"Competent Authority"** means an officer not the below rank of Regional Transport Officer or any other officer authorized by the State Government with Gazette notification to issue License under Section 93 of the Act.

9. **"Compliance Officer"** means a person appointed by aggregator under this policy.

10. **"Driver"** has the same meaning as assigned to it in the Act, and in the context of this policy, shall include drivers of the vehicles on-boarded by an Aggregator for the provision of transport or delivery services.

11. **"Electric Vehicle"** shall mean a Battery-Operated Vehicle, as defined in the Central Motor Vehicles Rules 1989, along with Retro fitment of hybrid electric system kit to in-use vehicles under Section 115-D of CMVR.

12. **"Electronic service provider"** has the same meaning as assigned to the term under the Consumer Protection Act, 2019.

13. **"End-user"** refers to the customer of the Aggregator, which is providing passenger or goods transport service, or last-mile delivery services.

14. **"Fare"** means the total charges debited by the Aggregator to the Rider pursuant to the latter booking a ride through the Aggregator's App and completion of such ride.

15. **"Fee"** means the charges in respect of a license as prescribed under Clause 21 of This Policy.

16. **"Form"** means the form appended to this Policy .

17. **"Fleet"** refers to the motor vehicle fleet, including battery-operated Electric Vehicles, used to carry out the services provided by the Aggregator.

18. **"Induction Training Programme"** shall have the meaning discribed under Clause 6.2

19. **"Investigating Authority"** means any officer of transport department appointed by Competent Authority under this policy.

20. **"License"** means the license issued to an Aggregator by the **Competent Authority** under Section 93 of the Act.

21. **"Licensee"** means an Aggregator who holds License issued by the **Competent Authority** under Section 93 of the Act.

22. **"On-Boarding"** means the integration of a vehicle and Driver with the Aggregator and operating such vehicle with the Aggregator.

23. **"Off-Boarding"** means the segregation of an integrated vehicle from the Aggregator.

24. **"Platform"** means an online interface in the form of any software including a website or a part thereof and applications including mobile applications;

25. **"Rating"** means an assessment of the quality of a trip availed by a Rider, on the successful completion of the trip.

26. **"Refresher Training Programme"** means an annual training session for Drivers integrated with the Aggregator, for a period of atleast two days for cumulated 10 hours, delivered physically or virtually. The session shall include but not be limited to the course mentioned under the Induction Training Program.

27. **"Remedial Training Programme"** means training course required to be compulsorily undertaken by Drivers whose Rating is below 2 percentiles from amongst all the Drivers who are placed similarly in terms of the minimum duration of engagement with the Aggregator. Such duration shall be determined by the Aggregator.

28. **"Rider"** means a person who books a journey or goods parcel delivery through the Aggregator App for availing the transportation provided by a Driver who is integrated with the Aggregator.

29. **"Rules"** means the Central Motor Vehicle Rules ,1989

30. **"Security Deposit"** means the amount that shall be payable by an Aggregator applying for a License furnished as bank guarantee, unless provided otherwise.

31. **"Service Provider Contract"** means the agreed and executed between the Aggregator and the Driver specifying the contractual rights and obligations of both parties.

32. **"State"** means Chhattisgarh.

33. **"Surge pricing"** means the output of an algorithm of an Aggregator, which automatically raises the price of a trip when demand outstrips supply within a fixed geographic area.

3. Scope and Applicability:

1. This Policy shall be applicable to Aggregators with atleast 10 motor vehicles in their aggregated fleet and to the vehicles that may be integrated by the Aggregator.

2. This Policy shall be applicable to Aggregators which have on-boarded any type of motor vehicles.

3. This Policy is introduced to regulate the services of Aggregators who ply their vehicles in the State of Chhattisgarh and to bring the provision of such services into alignment with the Chhattisgarh Electric Vehicles Policy, 2022.

4. Not with standing anything contained in this Policy, laws otherwise applicable to Aggregators shall continue to apply, whether they be governed as intermediaries under the Information Technology Act, 2000, as companies under the Companies Act, 2013, or as entities covered under the Consumer Protection Act, 2019, or any other legislative framework.

The Policy may be applicable to Aggregators On boarding motor vehicles in the Area of Operation. The vehicles that may be integrated by the Aggregator should include all motor vehicles under the Act and All aggregators aggregating more than 10 vehicles, would be required to take a license for operating in the State of Chhattisgarh, henceforth.

4. Application for grant or renewal of License and matters connected therewith:

1. Any person may make an application for grant of License in Farm I appended to this Policy, accompanied by proof of payment of appropriate fee and Security Deposit.

2. A License granted shall be valid for a period of two (2) years from the date of its issuance, subsequent to which it shall be renewed by the Competent Authority on an application for renewal made by the Aggregator in Form II appended to these Guidelines. However, it may be cancelled by the Competent Authority in accordance with Clause 18. For the purposes of such renewal, the Competent Authority shall examine the Aggregator's records of compliance with these Policy and the suspensions against such Aggregator.

3. The list of licenses issued by the Competent Authority under this Policy shall be uploaded and updated by the Competent Authority on the transport department portal of the state government.

4. If any of the conditions for grant of License specified under this Policy are not complied with by the applicant, the Competent Authority may reject such application after giving the opportunity of Hearing.

5. On being satisfied that the applicant has complied with all the conditions specified for grant/renewal of a license under this Policy, the Competent Authority shall issue a License to the applicant in Form III appended to this policy.

6. A License issued under this Policy may be transferred on a joint application being made by the transferor and transferee subject to compliance with this Policy.

7. Where the License is lost or destroyed, an application for issue of a duplicate should be made in Form IV appended to this Policy along with the prescribed fee. A duplicate License so issued shall be marked "Duplicate" in red ink.

8. Any applicant seeking issuance of a license to operate as an Aggregator, will have to designate a 'Compliance Officer' (who shall be the point of contact) at the portal as notified by the Transport Department, Chhattisgarh, for the purpose of operations of this Policy.

5. Eligibility of an Aggregator

1. The applicant shall be a company registered under the Companies Act 1956 or 2013 or a co-operative society registered under the Co-operative Societies Act, 1960 and Rules 1962 formed by an association of drivers or motor vehicle owners or such other association or a limited liability partnership under the Limited Liability Partnership Act, 2008.

2. The applicant shall have a registered office in State of Chhattisgarh.

3. The applicant shall comply with all the applicable provisions prescribed under the Act and the Information Technology Act, 2000, including intermediary guidelines/Policies.

4. The applicant shall not integrate any driver or represent himself as an Aggregator unless he holds a valid License issued by the State Government.

5. Applicant shall be produce shop establishment certificate.

6. Conditions for grant of License for Aggregator:

An applicant desirous of securing a License shall demonstrate compliance with the following:

1. Compliance with Clause 7, 8, 9, 10 and 11 of this policy;

2. Arrangement of a driving test facility with a simulator to test the driving ability of the concerned Driver with respect to the vehicle to be on boarded or out source it to an authorized third party, and a set-up for conducting Induction Training Programme.

   Explanation: Induction Training Programme refers to a compulsory (5) five-day training programme for cumulated thirty (30) hours conducted by the Aggregator prior to the commencement of on-boarding of vehicle, either independently or by liasoning with a professional institution for providing course. The course shall include but not be limited to apprising, educating and training the Drivers.

   (a) To efficiently use the Aggregator app;
   (b) on the provisions under the Motor Vehicles Act, 1988 and rules there under;
   (c) on road safety and first responder training for six (6) hours out of the total Thirty (30) hours mentioned above;
   (d) on careful driving;
   (e) on motor vehicle maintenance;
   (f) on maintenance of health and hygiene;
   (g) on fuel efficient driving;
   (h) on familiarization with the routes in the Area of Operation;
   (i) on the terms and conditions of the contract between the driver and the aggregator;
   (j) on gender sensitization and safety of women and girl child.

3. The Aggregator shall be responsible to ensure that drivers who have been integrated with the Aggregator prior to the implementation of these Policy under go the induction Training Programme as mentioned above.

4. The Aggregator shall be required to commence its business operations 6 months from the grant of the License, in the absence of which the License shall be cancelled.

5. The Policy issued by the Ministry of Health / World Health Organization / or any concerned authority / organization in the interest of public health and safety especially in regard to COVID-19 or other such pandemic for precautionary steps like sanitization of motor vehicles and appropriate social distancing etc. are to be complied with. Further that this clause is to be adhered in cases of ride-pooling in taxis also.

7. State Government to facilitate Implementation of Electric/ Alternative fuel (such as bio-ethanol) two-wheeler taxis:

This Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi vide notification dated S.O. No. 5333(E) dated 18" October, 2018 has exempted the electric vehicles and vehicles running on Ethanol or compulsory ev fleet table 7.1 from the requirements of Permit, to facilitate

operations of such vehicles following fleet composition of electric vehicle shall be ensured:-

1. Fleet Composition and Conversion

   a. Post the notification of the scheme, the Aggregators shall ensure the following % of all new onboarded fleets to be electric vehicles in following –

Timeline	The target for adoption of EVs in each class of new fleet
Within the first 6 months from the day of notification of the scheme	10%
Within One year from the day of notification of the scheme	20%
Within Two years from the day of notification of the scheme	30%
Within Three years from the day of notification of the scheme	40%
Within Four years from the day of notification of the scheme	50%

   b. Proportion of On boarded new fleet of electric vehicles may be ammended by state government by time to time.

8. Compliances with regard to Drivers:

1. The Aggregator shall ensure compliance with the following conditions, relevant to Drivers, prior to On-boarding of such Drivers:

   (a) The Driver should hold a valid proof of identity being an EIC card or Aadhaar card or PAN card and other document which may be specify by State Government.

   (b) The Driver shall be holder of a driving license to drive the relevant vehicle (as applicable) and a badge endorse in driving license (as may be applicable)

   (c) The Driver shall have a minimum driving experience of 2 years which class of vehicle they drives. In case of the driving experience being less than 2 years, the Driver shall undertake a driver training facilitated by the Aggregator for a period of 15 days prior to On-boarding. This shall be in addition to the Induction Training Programme.

   (d) The Driver shall be a holder of KYC compliant bank account or holder of Jan- Dhan account under the Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana, in accordance with the norms prescribed by Reserve Bank of India.

   (e) The Driver of the vehicle shall not have been convicted within the past 3 years, for the offence of driving under the influence of drugs or alcohol, or any cognizable offence under the THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023 or THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 OR Bharatiya Sakshya Adhiniyam,

2023 including fraud, sexual offences, use of a motor vehicle to commit a Cognizable offence, a crime involving property damage or theft, acts of violence, or acts of terror.

(f) The Driver shall undergo a complete medical examination, including eye check-up, by a hospital or medical institution prescribed by the Aggregator. Costs for such medical check-up shall be borne by the Aggregator.

(g) Complete police verification of the identity of the Driver and his antecedents with a written record of such verification prior to fifteen days of on boarding. For facilitation of the same, the police authorities shall be provided access to the Aggregator's Application Programming Interface (API) by the Aggregator. Subsequent to such verification, the police authorities shall grant certificate of good moral Character without any criminal record, to the Driver.

(h) Execution of a valid enforceable Service Provider Contract with the relevant Driver in Hindi and English, specifying all necessary terms and conditions applicable for On-boarding of vehicle and operating vehicles therein.

2. The Aggregator shall ensure compliance with the following conditions, relevant to Drivers, during operations:

(a) Ensuring a health insurance for each Driver integrated with the Aggregator for an amount not less than Rs.5 Lakhs with base year 2024-25 and increased by 5% each year.

(b) Ensuring a term insurance for each Driver integrated with the Aggregator for an amount not less than Rs. 10 lakhs with base year 2024-25 and increase by 5% each year.

(c) Conducting Refresher Training Programme once a year. Record of such training sessions shall be documented and preserved for at least one year. The Aggregator may be permitted to collaborate and partner with any specialized institution, as deemed fit by the Aggregator, for providing such training.

(d) Ensuring that the Driver shall not be logged in for an aggregate of twelve (12) hours on a calendar day. A mandatory break of ten (10) hours for the Driver shall be imposed subsequent to a login extending twelve(12) hours.

(e) The Aggregators to develop a mechanism on their respective App to ensure that Drivers engaged with more than one Aggregator do not drive beyond a cumulative period of 12 hours either on their or another Aggregators App so as to Safeguard the Drive, passenger as well as road users.

(f) Maintaining and examining updated copies of the following records pertaining to the Drivers of vehicles (pursuant to due verification with the originals), regularly on the portal of SARATHI;

(g) a photograph of the Driver;

(h) driving license;

(i) present residential address along with proof;

(j) RBI compliant KYC bank account details;

(k) Self-attested copies of EIC card or Aadhaar card or PAN card.

(l) Contact details and addresses of two members from the Driver's family.

(m) Enabling the Drivers to operate with multiple Aggregators, provided each of them comply with the requirements and Driver training programmes relevant to each Aggregator.

(n) Ensuring that on termination or end of the Service Provider Contract with a Driver, all equipment or brand stickers belonging to the Aggregator is removed and Identity card or authorization issued to the Driver by the Aggregator is confiscated.

(o) Implementing a mechanism in the App for rating of Driver by corresponding Rider with respect to a ride availed on the App, indicative of the Rider's experience of the ride and Driver's etiquette. The same shall be applicable to the Driver's rating for a Rider.

(p) Further, Drivers with ratings below two (2) percentiles shall be required mandatorily to undertake the Remedial Training Programme until the completion of which such Driver shall be on boarded.

(q) The Aggregator(s) shall ensure registration of all onboarded driver-partners and their vehicles currently in use at the portal as directed by the Transport Department, Chhattisgarh, within 3 months from the date of the notification of this scheme.

9. Compliance with regard to vehicles:

The following compliances with regard to a vehicle shall be ensured by an Aggregator as a pre-requisite for the purposes of integration with Aggregator:

1. Valid registration of the vehicle;
2. Valid permit, as may be applicable;
3. Valid fitness certificate as obtained under the Act;
4. Requisite placement of the registration mark displayed in English and the figures in Arabic numerals displayed in such form and manner as specified in the Rules;
5. Valid atleast third-party Insurance;
6. Valid Pollution Under Control (PUC) certificate;
7. Compliance with emission norms of BS IV or above for motor cab, maxi cab, omni bus (commercial use) and BS III or above for other vehicles;
8. Compliance with city specific fuel norms;
9. Updated payment of applicable taxes and other dues;
10. Clearance of pending e-challans applicable to the vehicle prior to integration of such vehicle;

11. Fitment of a AIS 140 Certified Vehicle Tracking and Monitoring System with panic buttons relevant for a Public Service vehicle, as specified by the Ministry of Road Transport & Highways, which shall be connected to the control room of the Aggregator;
12. Placement of a fire extinguisher;
13. Disabled child lock mechanism;
14. Enabled manual override for the central locking system;
15. Display inside the vehicle, except motor cycles, containing vehicle permit (as applicable) and copy of the Driver's driving license. The display shall be placed on the side of the passenger seat next to the Driver in such manner as shall be clearly visible to the passengers in the concerned vehicle.
16. Fitment of 'TAXI' roof sign visible from the front and rear on Vehicle, in compliance with Automotive Industry Standards (AIS) or any such standard specified.
17. During operations, the Aggregator shall maintain and examine digital records of all vehicles integrated with the Aggregator that shall be updated on a real- time basis by the Aggregator on https://vahan.nic.in/nrservices/. maintaining updated copies of the following records pertaining to the Driver's vehicle (pursuant to due verification with the originals, regularly:

(a) Certificate of Registration;
(b) Certificate of Fitness;
(c) Permit of the vehicle;
(d) Chassis and engine numbers; and
(e) Commercial insurance Policy covering third party risks as prescribed in the Act.
(f) Pollution under control certificate.
(g) Clearance of pending e-challans within a period of 2 months from the issuance of such e-challans.

10. Compliance with regard to the Aggregator's App and Website:

1. The App shall be formulated in a manner that is compliant with the applicable law.
2. The App shall be accessible in English and Hindi as the primary languages.
3. Ensuring that the in-app vulnerabilities are revealed to Indian Computer Emergency Response Team formed under the aegis of the Ministry of Electronics and Information Technology. Safety of the App shall be certified by a recognized cyber security firm.
4. Source code and algorithm for fare calculation to be disclosed to transport department.
5. Ensuring that the data generated on the App is stored on a server in India and that such stored data shall be for a minimum of 3 months and maximum of 24 months from the date on which such data is generated. This data shall be made available to the State Government as per due process of law. Any data related to

customers shall not be disclosed without the written consent of the customer.

6. Ensuring that the details of daily trips operated by each vehicle, details of passengers commuting in each vehicle, origin and destination of each journey undertaken and the fare collected, shall be undertaken by a Driver and Rider shall be accessible on the App for a period of three (3) months from the date of such trip.

7. Ensuring transparency in its operations, including but not limited to, functioning of the App algorithm, proportion of fare payable to the Driver, incentives given to the Drivers, charges received from the Driver and such other information as may be notified by the State Government by making disclosures on the Aggregator's Website and App and updating such disclosures, as per requirement,

8. Inclusion of a feature enabling the Rider to share the live location and status of his/ her ride after the ride booked through the App has commenced.

9. Ensuring that the picture of each Driver integrated with the Aggregator is clearly visible on the App.

10. Presence of the Website comprising details of the ownership, registered address, fare structure, services offered, consumer services telephone number and email address and such other details as may be needed.

11. Implementing a zero-tolerance Policy on the use of drugs or alcohol applicable to any Driver. Provide notice of the zero-tolerance Policy on its website, as well as the procedure to report a complaint about a driver when a passenger reasonably suspects that the driver is under the influence of drugs or alcohol during the course of the ride. The Aggregator shall immediately off board such Driver upon receipt of a passenger's complaint alleging violation of the zero-tolerance Policy. The suspension shall fast or continue during the period of investigation by the Aggregator.

12. Establishing a control room with 24x7 operations and ensuring that all the vehicles, on direction of the Aggregator, maintain uninterrupted contact with the control room. The control room shall be in a position to monitor the movements of all the vehicles on the directions of the Aggregator.

13. Establishing call centres with valid telephone number and operational email address displayed clearly on the App with 24x7 operations wherein assistance shall be provided to the Rider and/or the Driver in Hindi and English. These call centres shall be responsible for the following:

    (a) To enable the Rider and/or Driver to contact the Aggregator's call centre in relation to issues concerning the ride, while the ride is in progress or after the completion of the ride for a period of 3 months as specified under sub-clause5 above, by inclusion of a call feature on the App. The Aggregator shall

also provide for the assigned Drivers direct contact number, to be available to the Rider and accessible for a period of 24 hour from when the ride was availed.

(b) To ensure timely and effective redressal of the Riders' grievances on receipt to fany complaint concerning the ride/ the Driver/ the condition of the vehicle. Rider concerns pertaining to a ride and the Driver may be reported not beyond a period of 24 hours from when the ride was availed.

Provided that the complaint registered with the grievance redressal centre is criminal in nature, then the limitation period for filing such complaint shall be extended beyond the specified limit of 24 hours upto a maximum of 72 hours. In such scenario, the concerned Driver shall be Off-boarded from the Aggregator till such issue is not resolved.

Provided further that, in case of complaints against the Driver concerning violation of the provisions under the Act, the Driver shall be Off-boarded for a period of 2 days, from the day on which the complaint has been made.

14. Extending utmost cooperation with investigating authorities in relation to any untoward accident or incident involving jeopardizing a Rider's safety, which may have arisen due to action or inaction of the Driver on an assigned trip.

15. Ensure that vehicles, if seeking to integrate with the Aggregator, are permitted such integration. Provided these vehicles are compliant to be integrated with the Aggregator as specified under Clause 8 above.

(a) The Operating Centre/CCC should be able to access and provide all data through a portal access of the Aggregator to the Transport Department, Chhattisgarh, with regards to all the grievances/complaints lodged by the rider(s)/consumer(s) and the action taken to remedy the same.

(b) The Aggregator should provide the Transport Department, Chhattisgarh, with a web-based access of the grievance redressal process undertaken by the Aggregator

(c) The Aggregator shall be required to take appropriate action against the driver partners having 15% or more grievances for the rides undertaken by him/her in a period of one (1) month. The data so referred shall be stored/collected by the Aggregator for at least 3 months from the date of service provided.

11. Compliance to Ensure Safety:

1. Ensuring appropriate functioning of the AIS-140 standard GPS installed in the vehicle and provide efficient resolution for any issues that may develop in its functioning;

2. Ensuring that the Driver plies the vehicle on the route assigned on the App and in the non-compliance of the same, developing a mechanism wherein the app device indicates the fault to the Driver and the control room of the Aggregator immediately communicates with the Driver with regard to the same;

3. Ensuring safety of women employees and Drivers by introducing mechanisms to protect their rights, in compliance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

4. Enforcing a mechanism on the App to ensure that the identity of the Driver undertaking a trip is same as the one enlisted with the Aggregator requiring verification every time a trip is accepted.

5. Ensuring regular spot checks of vehicles integrated with the Aggregator by personnel authorized by such Aggregator.

12. Ride Pooling:

1. Aggregators may provide pooling facilities to Riders whose details and KYC are available who shall be travelling along the same route but with varied stoppages from one point to another under a virtual contract through the App.

2. Female passengers seeking to avail ride pooling shall also be provided the option to pool only with other female passengers.

3. The pooling facilities shall be available within certain kilometers of detour from the route assigned to be undertaken for a destination specified by the first Rider in such vehicle.

4. State Governments may, by way of notification, relax the above mentioned detour specifications in order to provide accessibility in urban agglomerations and areas beyond the limits of municipal corporations.

13. Non-discrimination Policy to be followed by the Aggregator:

The Aggregator shall ensure that vehicles actually owned by the Aggregator are treated at parity with those vehicles which are not Aggregator owned, once such vehicles are integrated with the Aggregator.

14. Regulation of fares:

1. The vehicle fare will be calculated on the basis of WPI index for the current year and base fare shall be Chargeable to customers availing Aggregator service.

2. The base minimum fare chargeable to customers availing Aggregator services shall be, for a minimum of 3 kilometers to compensate for dead mileage and distance travelled and fuel utilized for picking up the customers.

3. The Aggregator shall be permitted to charge a fare 50% lower than the base fare and a maximum Surge Pricing of 1.5 times the base fare specified under Clause 14(1) here in above. This will enable and promote asset utilization which has been the fundamental concept of transport aggregation and also substantiate the dynamic pricing principle, which is pertinent in ensuring asset utilization in accordance with the market forces of demand and supply.

4. The Driver of a vehicle integrated with the Aggregator shall receive at least 70% of the fare applicable on each ride and the remaining charges for each ride shall be received by the Aggregator. The State Government may by way of a notification direct over and above the fare towards the state exchequer for amenities and programmes related for Aggregator operated vehicles, which have been helpful in

reducing traffic congestion to a great extent and subsequently reducing pollution. These amenities and programmes may include but not be limited to, state sponsored driver welfare programmes, road safety awareness workshops and activities, pollution control programmes, allotment of parking spaces in certain proportion of large parking areas for vehicles integrated with an Aggregator, electric charging infrastructure for electric vehicles and related matters.

5. An amount of Rs. 25 shall be the base fare for the purpose of motor cabs; fare regulation under this Clause14.2 shall only be applicable for motor cabs not exceeding 4 meters of length of below engine capacity of 1500cc diesel or petrol.

6. An amount of Rs. 40 shall be the base fare for the purposes of maxi cabs and Omni bus (commercial use); fare regulation under this Clause14.2 shall only be applicable for maxi cab or Omni bus exceeding 4 meters of length of above engine capacity of 1500cc diesel or petrol.

7. No passenger shall be charged for dead mileage (except when the distance for availing the ride is less than 3 kms as mentioned under Clause 14.2 here in above and the fare shall be charged only from the point of boarding to the point of alighting,

15. Cancellation of Rides:

1. On cancellation of a booking by a Driver, subsequent to accepting a ride on the App, a penalty of 10% of the total fare not exceeding Rs. 100, shall be imposed, when such cancellation is made without such valid reason that shall be stipulated by the Aggregator on its Website and on the App.

2. On cancellation of a booking by a Rider, subsequent to booking a ride on the App, a penalty of 10% of the total fare not exceeding Rs, 100, shall be imposed, when such cancellation is made without such valid reason that shall be stipulated by the Aggregator on Its Website and on the App. The said amount shall be divided between the Driver and the Aggregator in the same proportion as Clause 14.4 here in above.

3. In case of delay of more than 10 minutes after booking the ride or if driver expresses inability for picking the rider then trip cancellation penalty shall not be imposed on rider.

16. Penalty:

1. Whoever engages himself as an aggregator without having a valid aggregator license shall be punishable for the first offence with fine of Fifty thousand rupees which may extend to one Lac rupees for second or subsequent offence.

2. Whoever motor vehicle owner or driver or agent or canvassers engages vehicle for aggregation to entity not having valid aggregator license shall be punishable for the first offence with fine of one thousand rupees per vehicle which may extend to two thousand rupees per vehicle for second or subsequent offence.

3. Any valid aggregator license holder who violates the provisions of section of Chhattisgarh Motor Vehicle aggregator Policy shall be punishable for the first offence with fine of Fifty thousand rupees which may extend to one Lac rupees for second or subsequent offence.

17. Suspension of Aggregator License:

1. Suomoto or on a complaint made to the Competent Authority, subsequent to providing the Aggregator with an opportunity of being heard within fifteen (15) days from date of such complaint or Suo moto action, suspend the license for a period, by way of a reasoned order in writing, which shall not be less than 10 days and which shall not exceed 6 months at a time ("Suspension Order") if,-

   (a) there exists a systemic failure by the Aggregator to ensure safety of the Rider and/or the Driver and the same may be evidenced by an analysis of quarterly Ratings with regard to the relevant parameter;

   (b) There exists repetitive instances of financial inconsistencies with regard to the fares charged to Riders, unjustified imposition of Surge Pricing, non-compliance with the proportionate division of fares between the Drivers and the Aggregator, unsubstantiated imposition of charges on the Drivers, all of which may be determined by Ratings and/or examination of the financial records pertaining to the Aggregator's operations, in compliance with powers granted to the State Government under Clause 20(1);

   (c) the Aggregator fails to comply with the contractual obligations towards the Drivers;

   (d) the Aggregator fails to comply with any of the requirements or conditions of these Policy amounting to minor, moderate or gross offences, as may be determined by the State Government. The following parameters may be considered by the State Government while categorizing the offences of non-compliance with these policy:

   (e) effect on health and safety of Riders and/or Drivers which may have been averted by complying with these Guidelines;

   (f) number of deaths or sever injuries to Riders and/or Drivers caused due to violation of safety standards by the Aggregator;

   (g) effect on Driver welfare and livelihood due to violation of contractual obligations;

   (h) severity of financial swindling;

   (i) and such other parameters as the State Governments may deem fit and appropriate.

   PROVIDED that where the Aggregator is liable to be suspended and the Competent Authority is of the opinion that having regard to the circumstances of the case it would not be necessary or expedient to suspend the License, the Aggregator may pay a sum as decided by the States. This is not withstanding the fine imposed against the Aggregator under Section 193 (2).

2. On completion of period specified in the Suspension Order the Aggregator shall by way of an undertaking in writing acknowledge the reasons for suspension as specified in the Suspension Order and undertake that the same stands rectified and will be there from complied with. Subsequent to this, the Competent Authority shall

pass an order acknowledging the satisfaction of the Suspension Order and receipt of the undertaking and grant the Aggregator temporary permission to continue operations for a period which shall not be less than 2 months but not more than 6 months ("Probationary Period") while still with holding the Aggregator's License.

3. During the Probationary Period, the Aggregator shall continue operations and rectify the reasons causing the former suspension while ensuring compliance with these Policy in its entirety. Subsequent to the expiry of the Probationary Period the Competent Authority shall examine the operations of the Aggregator to ensure compliance with these Policy and rectification of the issues causing the former suspension.

4. If the Competent Authority stands satisfied pursuant to the examination at the end of the Probationary Period, the Competent Authority shall issue a no objection certificate (NOC) to the Aggregator and return the License, subsequent to which the Aggregator shall continue operations. If unsatisfied, a second Probationary Period of seven (7) days shall be granted for implementing the requisite rectifications.

5. If satisfied, a NOC shall be granted to the Aggregator subsequent to investigation after the expiry of seven (7) days and the License shall be returned. If the requisite rectifications remain unsatisfied, the Competent Authority may within fifteen (15) days, after giving an opportunity of being heard to the Aggregator, suspend the License for a period which shall(not be less than forty five days and not more than three months, specifying the reasons for continued suspension by way of a written order ("Continuing Suspension Order"). On receipt of a Continuing Suspension Order, the same procedure shall be followed as specified in this Clause 17(2), 17(3) and 17(4) above,

6. Without prejudice to an order of suspension passed by the Competent Authority, the security provided by way of bank guarantee may also be forfeited in part, depending upon the extent of the violation. It may be noted that if the security ›s forfeited, the same shall only be returned on the Aggregator receiving the License again and not during either of the Probationary Period.

7. Where a License is suspended, the Aggregator shall immediately stop all operations under the License till the time such suspension is revoked.

18. Cancellation of Aggregator License:

1. A show cause notice shall be issued to the Aggregator for cancellation of the Aggregator's License, if the Aggregator:

   (a) has received more than three (3) suspensions within one financial year; or

   (b) has failed to receive its License and NOC pursuant to a second examination of the Continuing Suspension Order; or

   (c) is responsible for the commission of a gross offence as categorized by the State Government under Clause 17(1)(4) above.

2. The Competent Authority may within two (2) days of issuing the show cause notice provide an opportunity of hearing to the Aggregator and there after cancel the license.

3. Where a license is cancelled, the Aggregator shall immediately stop all operations

under the license,

4. Without prejudice to an order of cancellation passed by the Competent Authority, the security provided by way of bank guarantee shall be forfeited in full.

5. The Aggregator may, at any time, voluntarily surrender the license for cancellation. On such surrender of the license, the security by way of bank guarantee if any shall be returned to the Aggregator after the payment of outstanding dues if any.

19. Appeal:

1. The Aggregator aggrieved by any order passed by the Competent Authority may, within 30 days of receipt of the order, appeal to the State Government or such other agency as may be notified by the State Government.

2. An appeal shall be in the form of a memorandum in duplicate setting forth the grounds for the appeal and shall be accompanied by the requisite fee and the certified copy of the order passed by the Competent Authority.

20. Powers and Responsibilities of the State Government:

1. The State Government shall be empowered to call for such information and documents from the Aggregator, as deemed fit to ensure compliance by the Aggregator with these Policy pursuant to prior written notice. This shall also include the power to investigate about the Drivers who have been Off boarded at more than one instance;

2. The State Government shall have the power to conduct search and investigation of the Aggregator's premises, as specified in Form I of these Guidelines, for the effective implementation of these Guidetines;

3. The State Government shall provide access to the VAHAN and SARATHI portal operated by the ministry of Road Transport and Highways, Government of India to enable the Aggregator to update the details of vehicles and Drivers integrated with the App.

4. The State Government shall ensure complete confidentiality and secrecy of the documents and information obtained from the Aggregator under Clause 20(1) above and any such other information which it may call for.

21. Fees for Aggregator:

S.No.	Particulars	Amount in Rupees
1.	Grant of license	50,000
2.	Renewal of license	5000
3.	Issue of duplicate license	5000
4.	For noting Change of address of the Licensee	5000

Note- 50% discount on all fees will be given to aggregator having 100% electric vehicles fleet.

22. Security Deposit for Aggregator:

S. No.	Particulars	Amount in Rupees
1.	Upto 100 motor vehicles	1,00,000
2.	Upto 1000 motor vehicles	2.50,000
3.	More than 10000 motor vehicles	5,00,000

Note- 50% discount on security deposit will be given to aggregator having 100% electric vehicles fleet.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANSHIKA RISHI PANDAY, Deputy Secretary.

FORM I

[See Clause 4(1)]

Application for the Grant of License Aggregator Under the Chhattisgarh Motor Vehicle Aggregator Policy

To,

.....

.....

Chhattisgarh

I, the undersigned hereby apply for grant of a license for operation as an Aggregator under the Chhattisgarh Aggregator Guidelines.

1.	Name in full	
2.	Address of the main office	
3.	Number of branches and addresses, if any	
4.	a. If a registered company, enclosed a copy Of certificate of incorporation / registration along with a copy of memorandum of association. b. If a firm, enclose a copy of certificate of registration of the firm.	
5.	Name and contact details of Key Managerial Personnel or Authorized Signatory	1. 2. 3.
6.	Telephone number, website address and Email ID	
7.	Number of (type of vehicle) proposed to be operated.(Enclose a separate list containing vehicle numbers and permit particulars of each vehicle)	
8.	Details of GPS/GPRS facility	
9.	Details of other infrastructure	
10.	Details of returns filed in the last three years. Enclose copies of financial statements of last Three years	
11.	Details of fee paid	Rs. 50,000
12.	Details of Security Deposit by way of Bank Guarantee in favour of Competent Authority	

I hereby declare that the information given above and other documents enclosed here with are true to the best of my knowledge. I underst and that if any information is found to be incorrect at any point of time, the License granted to me is liable to be cancelled, besides initiating other legal action/actions against me. I have gone through the provisions of the Chhattisgarh Aggregator Policy, I accept and agree to abide by the same and the reference statues and rules mentioned herein.

Place:

Date:

Signature of the Applicant/ Authorized Signatory
(along with company seal, as applicable)

FORM II
[See Clause 4(2)]
Application for the Renewal of License for Aggregator Under the Chhattisgarh Motor Vehicle Aggregator Policy

To,

.....

.....

Chhattisgarh

I, the undersigned hereby apply for grant of a license for operation as an Aggregator under the Chhattisgarh Motor Vehicle Aggregator Policy

1.	Name in full	
2.	Address of the main office	
3.	Number of branches and addresses, if any	
4.	a. If a registered company, enclose a copy of certificate of incorporation / registration along with a copy of memorandum of association. b. If a firm, enclose a copy of certificate of registration of the firm.	
5.	Name and contact details of Key Managerial Personnel or Authorized Signatory	1. 2. 3.
6.	Telephone number, website address and Email ID	
7.	Number of (type of vehicle) proposed to be operated.(Enclose a separate list containing vehicle numbers and permit particulars of each vehicle)	
8.	Details of GPS/ GPRS facility	
9.	Details of other infrastructure	
10.	Details of returns filed in the last three years. Enclose copies of financial statements of last Three years	
11.	Details of License: a. License Number b. No. of suspensions, if any, and details thereof	
12.	Details of fee paid	Rs. 5,000
13.	Details of Security Deposit by way of Bank Guarantee in favour of Competent Authority	

I hereby declare that me information given above and other documents enclosed herewith are true to the best of my knowledge. I understand that if any information is found to be incorrect at any point of time, the License granted to me is liable to be cancelled, besides initiating other legal action/actions against me. I have gone through the provisions of the Chhattisgarh Motor Vehicle Aggregator Policy. I accept and agree to abide by the same and the reference statues and rules mentioned herein.

Place:

Date:

Signature of the Applicant/ Authorized Signatory (along with company seal, as applicable)

FORM III
[See Clause 4(5)]
License for an Aggregator

Mr./Mrs. /M/s [.....] is hereby licensed to operate as an Aggregator under the Motor Vehicles Act, 1988 in compliance with directions stipulated under the Chhattisgarh Motor Vehicle Aggregator Policy.

1.	Name of the Aggregator (in full)	
2.	Address of the main office	
3.	Addresses of the branches	
4.	Telephone number, website address and email id	
5.	Number of auto rickshaw/ e-rickshaw/ motor cab/ motor Cycle or bus (as per the list enclosed by the Aggregator in Form I/II, as may be applicable)	
6.	Particulars of the manner in which the Aggregator shall function	
7.	Details of fee paid	
8.	Details of bank guarantee	

The Licensee shall observe all the conditions contained in the **Chhattisgarh Motor Vehicle Aggregator Policy.**

Place:
Date:

Signature of the Competent Authority

FORM IV
[See Clause 4(7)]
Application for the issue of Duplicate License

To,
.....
.....
Chhattisgarh

Sir/Madam,
The License issued to [Name of the Licensee] under Clause 3(5) of the Motor Vehicle Aggregator Policy bearing No. [_____] has been lost/destroyed/completely written off/soiled/torn/multilated in the following circumstances.
[_____]
I/We hereby declare that to the best of my/our knowledge the License has not been suspended or cancelled under the provisions of the Act or rules made there under and the circumstances explained above are true.
I/We do hereby apply for the issue of duplicate License.
The written off/soiled/torn/mutilated Certificate of registration is enclosed/ copy of the FIR filed against the toss of the License is enclosed.

Place:
Date:

Signature of the Applicant/ Authorized Signatory
(along with company seal, as applicable)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.